APP-A
Crim-I

Form No. III

फर्द अह्काम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम .... बनाम .... नं. 16 सन् 2025

किस्म मुकदमा 136 L.R. Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह्काम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/3/25 को पेश हो।	
17/3/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नोटाना के खाता संख्या 36 में गोबरीलाल पुत्र चन्दा नाम की डबल एन्ट्री हो रही है। जिसे दुरूस्त करवानेहेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम नोटाना के खाता संख्या 36 में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1048 दिनांक 20.05.2024 बेचान द्वारा गोबरीलाल पुत्र चन्दा की डबल एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम नोटाना के खाता संख्या 36 में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1048 दिनांक 20.05.2024 बेचान द्वारा गोबरीलाल पुत्र चन्दा की डबल एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नोटाना के खाता संख्या 1048 में गोबरीलाल पुत्र चन्दा हि0 1/4 एवं गोबरीलाल पुत्र चन्दा हि0 1/2 के स्थान पर गोबरीलाल पुत्र चन्दा हि0 3/4 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 17/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	